



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

#### 07 वारण्टी गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में दिनांक 04.02.2021 को विभिन्न थानों द्वारा कुल 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार वारण्टीगण को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. थाना हरगांव द्वारा 02 वारंटी गिरफ्तार- वाद सं0 1583/2020 धारा 452/323/504/506 भादवि में वारंटी अकील पुत्र मुनीर उर्फ नत्थू निवासी ग्राम भटपुरवा एवम् वाद सं0 39/2018 मु0अ0सं0 18/2018 धारा 8/21 NDPS ACT में वारंटी हरिनाम पुत्र अनन्तराम रैदास नि0 ग्राम खमौना को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
2. थाना रेउसा द्वारा 02 वारंटी गिरफ्तार- थाना स्थानीय से संबंधित मु0अ0सं0 67/10 धारा 323/504 भादवि के वाद संख्या 1474/10 में वारंटी 1.गोपाल पुत्र केदार 2.जगदीश पुत्र हरपाल नि0गण सिरसा को गिरफ्तार किया गया।
3. थाना कमलापुर द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार- थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 200/92 धारा 504/506 भादवि के वाद संख्या 3674/06 में वारंटी चंदुल पुत्र छेदू नि0 महोली थान कमलापुरप सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
4. थाना पिसावां द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार- थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 231/2000 धारा 63/63 आबकारी अधिनियम के वाद संख्या 2993/18 में वारंटी चंदू पुत्र सतनू नि0 नमसैहिया थाना पिसावां जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
5. थाना इमलिया सुल्तानपुर द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार- थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 573/15 धारा 307 भादवि के वाद संख्या 51/16 में वारंटी मदन गोडिया पुत्र रामधार नि0 चठिया को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।